



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-04082026-275180
CG-TL-E-04082026-275180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4139]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4139]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4315(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् तेलंगाना राज्य के विकाराबाद जिले के कोकट गांव और यालाल मंडल में “3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य - वाडी-विकाराबाद सेक्शन में तांडूर टीएसएस का निर्माण” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-कलक्टर, तांडूर मंडल को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप-कलक्टर, तांडूर मंडल आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने

के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : तेलंगाना राज्य के विकाराबाद जिले के कोकट गांव और यालाल मंडल में “3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य - वाडी-विकाराबाद सेक्शन तांडूर टीएसएस का निर्माण”.

क्र.सं.	गांव का नाम	मंडल का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (एकड़-गुंटा)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	एंजॉयर का नाम	क्षेत्र (एकड़-गुंटा)	संरचनाएं/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोकट	यालाल	15	0-14	पट्टा	शुष्क	मोहम्मद जहाँगीर सुपुत्र दाऊद	0-14	कुछ नहीं
2	कोकट	यालाल	16	2-19	पट्टा	शुष्क	राठौड़ शिवकुमार सुपुत्र सकरू नाइक	0-01	कुछ नहीं
3							तारा बाई सुपुत्री थावुर्या	0-01	
4							पी. रघुनाथ रेड्डी सुपुत्र चंद्रारेड्डी	0-27	
5							सी.अरुणा पत्नी जगदीश्वर	0-04	
6							पारम्मा पत्नी भजन सिंह	0-01	
7							पाबुगल्ला वेंकटम्मा पत्नी पी.नरसिमुलु	0-16	
8							आकेलि नलिनी ज्योति पत्नी प्रभाकर रेड्डी	0-24	
9							नीलम्मा गिरी पत्नी शिव आनंद गिरी	0-03	
10							गूडेपु रामु सुपुत्र जी.नरसिमुलु	0-02	
11							वितलप्पा सुपुत्र पी.बालप्पा	0-10	
12							मेडिकोंडा सुशीलम्मा पत्नी चंद्रशेखर रेड्डी	0-05	
13							मेडिकोंडा शशिधर रेड्डी सुपुत्र एम.गोविंद रेड्डी	0-05	
कुल				2.33				2.33	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/TDU/20A]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 3rd August, 2026

S.O. 4315(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project, “Construction of Tandur TSS in Wadi –Vikarabad section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target” in Kokat Village & Yalal Mandal in Vikarabad District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Collector, Tandur Division in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Sub-Collector, Tandur Division shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Tandur TSS in Wadi –Vikarabad section for Up – Gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target in Kokat Village & Yalal Mandal in Vikarabad District in the state of Telangana.

S no	Name of the Village	Name of the Mandal	Sy no	Extent (Ac-Gts)	Type of land	Nature of land	Name of the enjoyer	Extent (Ac-Gts)	Structure/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kokat	Yalal	15	0-14	Patta	Dry	Mohammed Jahangir S/o Dawood	0-14	None
2	Kokat	Yalal	16	2-19	Patta	Dry	Rathod Shivakumar S/o Sakru Naik	0-01	None
3							Tara Bai D/o Thavurya	0-01	
4							P. Raghunath Reddy S/o Chandrareddy	0-27	
5							C. Aruna W/o Jagadishwar	0-04	
6							Paramma W/o Bhajan Singh	0-01	
7							Pabugalla Venkatamma W/o P. Narsimulu	0-16	
8							Akeli Nalini Jyothi W/o Prabhakar Reddy	0-24	
9							Neelamma Giri W/o Shiva Anand Giri	0-03	
10							Gudepu Ramu S/o G.Narsimulu	0-02	
11							Vitallappa S/o P.	0-10	

							Balappa		
12							Medikonda Susheelamma W/o Chandrashekar Reddy	0-05	
13							Medikonda Shashidhar Reddy S/o M. Govind Reddy	0-05	
TOTAL				2.33				2.33	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/TDU/20A]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II